दिनांक 31.08.2024
प्रेस विज्ञप्ति 40/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस–3

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 35 मोबाइल फोन**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **02 हजार 500 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 31.08.2024 को थाना फेस–3 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टीपीनगर से गढ़ी गोल चक्कर के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–पुष्पेन्द्र घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–गोलू कुमार सहित गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के निशादेही पर अभियुक्त 3–रवीन्द्र उर्फ काले को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 35 मोबाइल फोन, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 02 हजार 500 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 25.08.2024 को थाना फेस–3 क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना फेस–3 पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त पुष्पेन्द्र शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में चोरी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना फेस–3 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–पुष्पेन्द्र निवासी ग्राम तिगरी थाना बिसरख कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2–गोलू कुमार निवासी ग्राम तिगरी थाना बिसरख कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

3–रवीन्द्र उर्फ काले निवासी ग्राम तिगरी थाना बिसरख कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–चोरी के 35 मोबाइल फोन।

2–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

3–02 हजार 500 रूपये नगद।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना मड़ियांव

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 08 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण आदि**
- **05 हजार 500 रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 31.08.2024 को थाना मड़ियांव व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अजीज नगर तिराहा के पास से 04 अभियुक्तों 1–मो0 शहजाद उर्फ शेरा 2–राहिल साहिल 3–विपिन 4–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 08 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण आदि, 05 हजार 500 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त मो0 शहजाद के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 16 अभियोग, अभियुक्त राहिल साहिल के विरूद्ध कमिश्नरेट

लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी, एनडीपीएस एक्ट आदि के 18 अभियोग, अभियुक्त विपिन के विरूद्ध लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 16 अभियोग एवं अभियुक्ता के विरूद्ध चोरी आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मड़ियांव पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मो0 शहजाद उर्फ शेरा निवासी ग्राम आदमपुर थाना उमरी बेगमगंज जनपद गोण्डा, हालपता भिटौलीखुर्द थाना मड़ियांव कमिश्नरेट लखनऊ।

2—राहिल साहिल निवासी सालेनगर थाना आशियाना कमिश्नरेट लखनऊ, हालपता भिटौलीखुर्द थाना मड़ियांव कमिश्नरेट लखनऊ।

3—विपिन निवासी ग्राम रंजीत खेड़ा थाना मौरांवा जनपद उन्नाव।

4—अभियुक्ता।

बरामदगी

1—लगभग 08 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण आदि।

2—05 हजार 500 रूपये नगद।

3—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना खतौली

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **भारी मात्रा में चोरी के सोने—चॉदी के आभूषण**
- **01 लाख 92 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनॉकः 31.08.2024 को थाना खतौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बर्फखाने वाले रास्ते के पास कस्बा खतौली से 02 अभियुक्तों 1—नदीम 2—नवेद को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से भारी मात्रा में चोरी के सोने—चॉदी के आभूषण, 01 लाख 92 हजार रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना खतौली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खतौली पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपये चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना खतौली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नदीम निवासी मोहल्ला जैननगर कस्बा व थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर।

2–नवेद निवासी मोहल्ला शराफान कस्बा व थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–भारी मात्रा में चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण।

2–01 लाख 92 हजार रूपये नगद।

जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जा नगर

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 80 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 30.08.2024 को थाना खुर्जा नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भादवा तिराहा के पास से 05 अभियुक्तों 1–राहुल 2–सागर 3–बीरू 4–वीरपाल 5–रामसेवक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 80 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 12.08.2024 को थाना खुर्जा नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खुर्जा नगर

पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना खुर्जा नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राहुल निवासी नेकपुर चौरासी थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ।

2—सागर निवासी श्याम नगर थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

3—बीरू निवासी कन्जड कॉलोनी कस्बा व थाना भोगाव जनपद मैनपुरी।

4—वीरपाल निवासी कन्जड कॉलोनी कस्बा व थाना भोगाव जनपद मैनपुरी।

5—रामसेवक निवासी युसुफपुर थाना कोतवाली कन्नौज जनपद कन्नौज।

बरामदगी

1—चोरी के 80 हजार रूपये नगद।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

3—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद बाराबंकी/थाना घुंघटेर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 30.08.2024 को थाना घुंघटेर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जमुआ पुल के पास चेकिंग के दौरान बदमाश की घेराबंदी की गयी, तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त ननकऊ घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बाराबंकी के विभिन्न थानों पर चोरी, डकैती, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के डेढ़ दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना घुंघटेर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–ननकऊ निवासी ग्राम होरीलाल पुरवा थाना रामनगर जनपद बाराबंकी ।

बरामदगी

1– 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस ।

जनपद रामपुर/थाना अजीमनगर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 30.08.2024 को थाना अजीमनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जौहर यूनिवर्सिटी के पास चेकिंग के दौरान बदमाश की घेराबंदी की गयी, तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मो0 अली घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद रामपुर के विभिन्न थानों पर धोखाधड़ी, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गुंडा एक्ट आदि के लगभग एक दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना अजीमनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1— मो0 अली निवासी घेर मर्दान खां थाना कोतवाली जनपद रामपुर।

बरामदगी

1— 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

ए0एन0टी0एफ0/आपरेशनल यूनिट लखनऊ

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 91 लाख 60 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 458 ग्राम अवैध स्मैक**
- **02 मोबाइल फोन**
- **नगद रूपये, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 02 एटीएम कार्ड बरामद**

दिनॉकः 30.08.2024 की रात्रि आपरेशनल यूनिट लखनऊ द्वारा सूचना के आधार पर सुपर मार्केट बेलदारी टोला वाली गली में देशी ठेका शराब के पास थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर से अभियुक्त प्रवीण कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 91 लाख 60 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 458 ग्राम अवैध स्मैक, 02 मोबाइल फोन, नगद रूपये, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 02 एटीएम कार्ड बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—प्रवीण कुमार निवासी मुबारकपुर थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1—लगभग 91 लाख 60 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 458 ग्राम अवैध स्मैक।

2—02 मोबाइल फोन।

3—नगद रूपये, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 02 एटीएम कार्ड।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना मुरादनगर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 55 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 02 किलो 160 ग्राम अवैध अफीम बरामद**

दिनांक 30.08.2024 को थाना मुरादनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन के पास से अभियुक्त राहुल कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 55 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 02 किलो 160 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राहुल कुमार निवासी ग्राम लैम्बोईया थाना पथेरगडा जनपद चतरा झारखण्ड।

बरामदगी

1–लगभग 55 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 02 किलो 160 ग्राम अवैध अफीम।

➢ **जनपद हाथरस/थाना हसायन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हाथरस पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हाथरस द्वारा थाना हसायन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/120बी/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–वेवी 2–पवन कुमार 3–राजेश उर्फ राकेश कुमार 4–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **जनपद हापुड़/थाना बहादुरगढ़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हापुड़ द्वारा थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त अंकित को

धारा 302/34/201 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 27 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त रिंकू को धारा 302/34/201 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद खीरी/थाना धौरहरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद खीरी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद खीरी द्वारा थाना धौरहरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सुदेश को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद एटा/थाना मलावन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना मलावन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त गीतम को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।